A-65061(55)/60/2020-Admin-CGA/1006-1013

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
कमरा संख्या 203, 2nd तल, महालेखा नियंत्रक भवन
खंड – E, जी पी ओ कॉम्प्लेक्स, I.N.A., नई दिल्ली-110023

नई दिल्ली, 01 जुलाई, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: महालेखा नियंत्रक कार्यालय में हिंदी अनुवादकों का पैनल गठन ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा महालेखा नियंत्रक (CGA) कार्यालय में हिंदी अनुवादकों के पैनल में नामांकन को अनुमोदित किया गया है। यह नामांकन इस शर्त के अधीन है कि आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (Integrity Certificate) अथवा APAR की प्रति प्रस्तुत की जाए।

क्र. सं.	नाम	घर का पता	मोबाईल नंबर	ईमेल
1)	श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (राजभाषा)	E501 Tyagraj Nagar New Delhi- 110003	9868599802	vkadiabhl@gmail.com
2)	श्री देवेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	Gali No. 3 Block-F Mahavir Enclave, Palam, New Delhi	9868599802	devenderpal2@rediffmail.com
3)	श्री विरेन्द्र कुमार जुयाल, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (राजभाषा)	Flat No. B/1602, Sanchar Nest Sahakari Awas Samiti, Sector-6, Palmwood Enclave, Wave City, NH-9 GHAZIABAD U.P	9013404345	vkjyl@rediffmail.com
4)	श्री शिशिर शर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	House No-2, T extension Vishwas Park Uttam Nagar New Delhi-110059	9971072477	s.sharma37@rocketmail.com

2. पारिश्रमिक

(i) राजभाषा विभाग के दिनांक 24 जुलाई 2018 के OM के अनुसार स्वीकृत दर ₹1 प्रति शब्द (लागू करों सहित, यदि कोई हो) ।

(ii) अनुबंध अवधि के दौरान पारिश्रमिक में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(iii) पैनल सदस्यों को HRA, आवास सुविधा, CGHS, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।

3. अवधि

नामांकन प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि अथवा नियमित पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा, जिसे कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

4. कार्य प्रणाली

(i) पैनल सदस्य की सेवाएँ आवश्यकता के आधार पर ली जाएंगी।

(ii) यह नामांकन मंत्रालय/संगठन में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

5. नियम एवं शर्तें

(i) यह कार्य पूर्णतः "गोपनीय" रखा जाएगा।

(ii) कुछ अनुवाद कार्य CGA कार्यालय के निर्धारित कक्ष में CCTV निगरानी के अंतर्गत किए जा सकते हैं।

(iii) अनुवाद ऐसा हो कि मूल अंग्रेजी पाठ का भावार्थ यथावत बना रहे।

(iv) कार्य को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को उप-ठेके पर नहीं दिया जा सकता।

6. कार्य समय

(i) अनुवादकों से सामान्य कार्यालय समय में कार्य लिया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर शनिवार, रविवार एवं अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है।

7. गोपनीयता

(i) कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के बाद भी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है।

(ii) किसी भी प्रकार की सूचना/आंकड़े बिना विभाग की लिखित अनुमति के तीसरे पक्ष को साझा नहीं किए जाएंगे।

8. समाप्ति

(i) कार्यालय बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताए पैनल समाप्त कर सकता है।

समापन के कारणों में शामिल हो सकते हैं:

(a) निर्धारित समय में कार्य पूरा न करना

(b) कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक होना

(c) सत्यनिष्ठा/ईमानदारी में कमी पाया जाना

9. व्याख्या प्रावधान

इन प्रावधानों की व्याख्या एवं किसी भी विवाद के निपटारे का अधिकार महालेखा नियंत्रक कार्यालय के पास होगा, और उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

10. यह वित्त मंत्रालय के सचिव (व्यय) की मंज़ूरी से जारी किया गया है, जो की MoF DoE आई डी नोट संख्या A-12034/19/2023-Ad.1-Part(1) दिनांक 19.06.2026 के ज़रिए दी गई है, साथ ही, इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीज़न के अतिरिक्त सचिव और वित्त सलाहकार की सहमति भी नोट#206 दिनांक 15.06.2026 के ज़रिए प्राप्त की गई है ।

(अशोक कुमार दलाल)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)

प्रेषित,

1. श्री विनोद कुमार
2. श्री देवेन्द्र पल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र कुमार जुयाल
4. श्री शिशिर शर्मा

(1–4) ऊपर दर्शाए गए पते पर

5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (GIFMIS), O/o CGA – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध

प्रतिलिपि

1. PPS to CGA
2. PSO/PPS/PA to Addl. CGA(OL)/Jt. CGA(Admn/OL), O/o CGA
3. Guard File